

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 22(6)लेखा/प्रमुवसं/08-09/ 7572-602 दिनांक : 28/12/17

संबंधित उप वन संरक्षक,


संबंधित उप वन संरक्षक, (वन्यजीव)

विषय:-अनपेड चैक्स एवं वन प्रेषण शीर्ष 8782-103 के बकाया शेषों के निस्तारण हेतु।

संदर्भ:-महालेखाकार कार्यालय का अ.शा पत्रांक वलेसे/के. 23/बकाया चैक/20111-16/2016-17/1346 दिनांक 24.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में महालेखाकार द्वारा वित्त विभाग को सूचित किया गया है कि वन विभाग के अनपेड चैक एवं वन प्रेषण शीर्ष 8782-103 की वृहद पुस्तिकाओं में चैक/चालानों का बकाया शेषों का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा हेतु शासन सचिव वित्त बजट के कक्ष में एक बैठक आयोजित की जावेगी। जिसमें विभाग द्वारा अब तक की गई प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

अतः आपके कार्यालय के अनपेड चैक तथा चैक एवं चालानों में बकाया शेष राशियों का महालेखाकार कार्यालय की वृहद पुस्तिकाओं से 15 दिवस में मिलान कर अंतर होने पर नियमानुसार स्थानान्तरण प्रविष्टियां (प्रपत्र 142) में तैयार कर कोषालय के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को भिजवायें तथा विशेष पत्रवाहक द्वारा वित्तीयसलाहकार वन को प्रगति रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। दिए गये निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर, आपका उत्तरदायित्व निर्धारण कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना बाध्यकारी होगा।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HoFF)
राजस्थान जयपुर